न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवाराम स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 318/2016

1. रामलाल पुत्र स्व. श्री लादूराम पुत्र स्व. श्री भगवाना, जाति बलाई, निवासी– ग्राम आकेड़ा डूंगर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

–अपीलान्ट्स/वादी–

बनाम

1. भूमिधारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

2. श्रीमती मोहनी देवी पत्नी श्री नामालूम उम्र वयस्क, जाति यादव, निवासी लाल्यो के बास की ढाणी, ग्राम जालसू, तहसील आमेर, जिला जयपुर। (नाम हजफ)

–रेस्पोडेंट्स/प्रतिवादीगण–

3. रामस्वरूप बुनकर पुत्र शम्भुदयाल, जाति बलाई, निवासी ग्राम महेशवास–कला, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

–रेस्पोडेंट–

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1– श्री हेमन्त दीक्षित ,अपीलांट की ओर से।

2– श्री प्रभुसिंह राजावत, रेस्पोडेंट संख्या 3 की ओर से।

:– निर्णय :– दिनांक :– 22–11–2017

1– यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय सहायम कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट आमेर मुख्यालय जयपुर दिनांक 22.01.2016, वाद संख्या 717/2008, उनवानी श्रीमती कानी देवी बनाम भूमिधारी राजस्थान सरकार, बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत की गई है।

2– अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट की माता कानी देवी ने अधीनस्थ विचारण न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत् घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वास्ते खसरा नम्बर 214, रकबा 0.26 हैक्टेयर, ग्राम जालसू, तहसील आमेर, जिला जयपुर के बाबत रेस्पोन्डेन्ट्स संख्या 1 व 2 के विरूद्ध प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित आराजी सन् 1973 में गुलाब देवी बेवा मन्ना, कौम बलाई को राज्य

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

सरकार द्वारा आवंटित की जाकर खातेदार घोषित किया गया था जिसका देहान्त दिनांक 10.03.1990 को हो गया तथा कानी देवी ने खातेदार गुलाब देवी की छोटी बहिन होना व गुलाब देवी को अपने पास रख कर उसका भरण पोषण व सार संभाल करने से खातेदार गुलाब देवी की भूमि पर वादिनी ने खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही। विचारण न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर तलबी प्रतिवादीगण की जाकर राज्य सरकार से वस्तुस्थिति रिपोर्ट प्राप्त की गयी जिसके आधार पर निम्नलिखित विवाद्यक कायम किये गये :–

1. आया वादपत्र की मद सं0 1 में अंकित कृषि भूमि ख0नं0 214 स्थित ग्राम जालसू तहसील आमेर जिला जयपुर की खातेदारी गुलाब देवी की मृत्यु उपरान्त खातेदार काष्तकार के रूप में दर्ज कराने एवं इस आषय की घोषणा कराने की अधिकारी हैं।

....वादिनी,

2. आया वादिनी प्रतिवादीगण को इस आषय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने की अधिकारी है िकवह वादिनी के शांतिपूर्ण उपयोग उपभोग में मजाहमत न करे तथा वादिनी का बेकब्जा न करें ।

...वादिनी,

3. अनुतोष

उक्त तनकीयात विचारण न्यायालय ने तहसीलदार आमेर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर वादिया का कब्जा नहीं होने व खातेदार गुलाब देवी पत्नी मन्ना की मृत्यु प्रमाणित नहीं होने से उपरोक्त तनकीयात वादिया के विरूद्व निर्णित कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.01.2016 द्वारा वाद वादिया खारिज किया गया जिससे असन्तुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गयी है ।

3– अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील में वाद पत्र के कथनों को दोहराया गया तथा कथन किया गया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि विरूद्ध और वस्तुस्थिति के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। अपीलार्थी की ओर से साक्ष्य का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था जिस पर प्रतिवादीगण द्वारा जिरह नहीं की गई ना ही कोई कथन किया गया। अपीलार्थी के साक्ष्य का खण्डन नहीं करने की स्थिति में दावा

डिक्री करना चाहिए था जो नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में कथन किया है कि साक्ष्य एकत्रित करने के लिए दो बार मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करवाये गये हैं जो कि गलत है। तथा दोनों एक ही मृत्यु प्रमाण पत्र है। गुलाब देवी के पति का नाम मन्ना उर्फ पन्ना दोनों ही सही है, वे एक ही व्यक्ति है जिसकी पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 9–4–2008 में की गई है परन्तु निर्णय में उक्त आदेश पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। वादिनी द्वारा अपने दावे में स्पष्ट कथन किया है कि वह स्व. गुलाब देवी की छोटी बहिन है तथा उस पर हमेशा आश्रित रही है और गुलाब देवी द्वारा ही उसका भरण पोषण किया जाता रहा है। गुलाब देवी की मृत्यु की पश्चात् वादिनी वादग्रस्त भूमि पर निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज काश्त है। इन तथ्यों पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। अपीलान्ट द्वारा उपर्युक्त कथन करते हुए निवेदन किया कि अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायलय का निर्णय व डिक्री दिनांक 22–1–2016 निरस्त फरमाया जावे तथा वादिनी का दावा डिक्री किया जावे विकल्प में उक्त पत्रावली वास्ते पुनः सुनवाई रिमांड की जावे।

4– न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर तलबी रेस्पोन्डेन्ट्स जारी की गयी। दौराने सुनवाई रेस्पोन्डेन्ट्स संख्या 3 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी0 पी0 सी0 प्रस्तुत कर विवादित आराजी का अभिलिखित खातेदार होने से पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया गया जिसे स्वीकार किया जाकर खातेदार रामस्वरूप बुनकर को रेस्पोन्डेन्ट्स संख्या 3 के रूप में पक्षकार संयोजित किया गया तथा अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेन्ट्स संख्या 2 का नाम हजफ करने का निवेदन किया गया जिसे स्वीकार किया जाकर रेस्पोन्डेन्ट्स संख्या 2 मोहनी देवी का नाम हजफ किया गया। अपीलान्ट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 प्रस्तुत कर दस्तावेजात् जिनमें निर्वाचक नामावली वर्ष 1966, 1975, 1980, 1988, 1993 विधानसभा क्षेत्र आमेर तथा तथाकथित लिखावट जागा रिकॉर्ड पर लिये जाने का अनुरोध किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा विधिक आपत्ति बाबत् मियाद प्रस्तुत की गई। उभय पक्ष को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27, विधिक आपत्ति तथा गुणावगुण पर सुना गया।

5– विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी अपील मीमो में अंकित तथ्यों व कानूनी बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलान्ट की माता कानी देवी खातेदार

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

गुलाब देवी की सगी बहिन थी तथा गुलाब देवी की मृत्यु दिनांक 10.03.1990 को होने से अपीलान्ट की माता खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने की अधिकारी है तथा रेस्पोन्डेन्ट्स संख्या 3 ने गुलाब देवी की मृत्यु दिनांक 10.03.1990 को होने के उपरान्त दिनांक 17.11.2005 को विक्रय पत्र तस्दीक होना बताया गया है जो कूटरचित दस्तावेज है तथा अपीलान्ट द्वारा अन्तर्गत आदेष 41 नियम 27 सी0 पी0 सी0 के राम नारायण पुत्र कल्याणबक्श ब्रह्मभट्ट द्वारा जारी वंशावली व निर्वाचन नामावली ग्राम जालसू सन् 1966, 1975, 1980, 1988, 1993 व परिवार राशन कार्ड इत्यादि प्रस्तुत किये हैं जिनसे अपीलान्ट की माता वादिया कानी देवी खातेदार गुलाब देवी की बहिन व गुलाब देवी की मृत्यु दिनांक 10.03.1990 को होना साबित है जिससे उक्त दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिये जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अपीलान्ट का वाद डिक्री किया जावे।

6– अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 ने कथन किया कि विवादित आराजी की खातेदार गुलाब देवी बेवा मन्ना थी जिससे मिन रेस्पोन्डेन्ट्स संख्या 3 ने खातेदार को उचित प्रतिफल राशि अदा कर दिनांक 17.11.2005 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वादग्रस्त आराजी को क्रय कर ली तथा राजस्व रिकार्ड में विक्रय पत्र के आधार पर खातेदारी दर्ज व अंकित हो चुकी है। इस प्रकरण की वास्तविक स्थिति यह है कि गुलाब देवी अनुसूचित जाति की एक महिला खातेदार काश्तकार थी जिसके जीवनकाल में मैंने उक्त भूमि को क्रय कर लिया तथा ग्राम पंचायत के समक्ष असल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वास्ते नामान्तरकरण प्रस्तुत कर दिया जिसमें तत्कालीन सरपंच मोहनी देवी के पति ने यह धमकी दी कि इस भूमि में से दो दुकानें हमें दो नहीं तो हम तुम्हारा नामान्तरकरण दर्ज नहीं करेंगे तथा बलाई समाज के किसी व्यक्ति से मुकदमा करवा कर इसे विवादित कर देंगे तथा जब ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण नहीं दर्ज किया गया तो मिन रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अपने कब्जशुदा भूमि पर पुख्ता बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण करना शुरू किया तो सरपंच ने हाल अपीलान्ट की माता से बिना कोई अधिकार के विचारण न्यायालय के समक्ष उक्त वाद प्रस्तुत करवा दिया जिसमें रेस्पोडेंट संख्या 3 को पक्षकार नहीं बनाया तथा स्थगन प्राप्त कर उसके नामान्तरकरण व निर्माण को रूकवा दिया जबकि वादिया कानी देवी किसी भी प्रकार से खातेदार गुलाब देवी पत्नी मन्ना की बहिन नहीं है। वादिनी ने अपने वाद में कोई वंशावली अंकित नहीं की है ना ही साक्ष्य में कोई वंशावली प्रस्तुत की गयी है तथा जो मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है वह खातेदार गुलाब देवी पत्नी मन्ना का नहीं होकर

ग्राम जालसू की समान नाम की अन्य महिला जो गुलाब देवी पत्नी भुवाना है का वल्दियत बदल कर गुलाब देवी पत्नी पन्ना लाल के नाम से दर्ज करवाया गया है जो अन्य महिला है, मृत्यु प्रमाण पत्र कूटरचित दस्तावेज है तथा मृत्यु प्रमाण पत्र में गुलाब देवी पत्नी मन्ना निवासी जालसू का नहीं होकर गुलाब देवी पत्नी पन्ना लाल निवासी 32, बाबा रामदेव कॉलोनी, पीतल फैक्ट्री के पास, जयपुर अंकित है जो अन्य महिला है जिससे गुलाब देवी की मृत्यु प्रमाणित नहीं होने का निष्कर्ष अधीनस्थ न्यायालय ने सही विवेचन किया है तथा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जा सकते थे जो नहीं किये गये जिससे इन्हें रिकार्ड पर नहीं लिया जा सकता है।यह सभी दस्तावेजात साक्ष्य एकत्रित करने हेतु प्रस्तुत किये गये हैं जिनसे वादिया कानी देवी खातेदार गुलाब देवी पत्नी मन्ना जाति बलाई निवासी ग्राम जालसू से किसी भी प्रकार से सम्बन्धित होना साबित नहीं होता है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादिया का वाद साबित नहीं होने से सही खारिज किया गया है तथा अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन निर्णय के विरूद्व मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की गयी है जबकि अपीलान्ट स्वयं वादी के रूप में विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित था तथा अपीलाधीन निर्णय की उसे पूर्व जानकारी थी, ना ही अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किये जाने हेतु कोई प्रार्थना पत्र ही प्रस्तुत किया गया है। रेस्पोन्डेन्ट्स संख्या 3 विवादित आराजी का जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र राजस्व अभिलेखों में खातेदार काश्तकार विधि अनुसार दर्ज है तथा मौके पर वास्तविक व भौतिक रूप से साधिकार काबिज काश्त है जिससे अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर खारिज फरमायी जावे ।

7– उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात निर्वाचक नामावलियां प्रत्यक्ष रूप से इस प्रकरण के तथ्यों से सम्बधित नहीं है। किसी भी नामावली में गुलाब देवी पत्नी मन्ना अंकित नहीं है। यहां तक कि अपीलान्ट के कथनानुसार पत्नी पन्ना भी अंकित नहीं है। इसके अभाव में इन दस्तावेजात को गुलाब देवी जो वादग्रस्त भूमि की खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में पत्नी मन्ना के रूप में दर्ज है से सम्बधित माना जाने का कोई आधार नहीं है। प्रार्थना पत्र के साथ जो तथाकथित लिखावट जागा प्रस्तुत की गई है वह अस्पष्ट एवं अप्रमाणित है। निर्वाचक नामावलियां पूर्व में भी उपलब्ध थी तथा इन्हें साक्ष्य के तौर पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष क्यों नहीं प्रस्तुत किया गया

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

इसका कोई स्पष्टीकरण अपीलान्ट द्वारा नहीं दिया गया है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 अस्वीकार किया जाता है। प्रकरण में विरचित किये गये विवाद्यक संख्या 1 व 2 निम्न प्रकार निर्णित किये जाते हैं :–

विवाद्यक संख्या 1 आया वादपत्र की मद सं0 1 में अंकित कृषि भूमि ख0नं0 214 स्थित ग्राम जालसू तहसील आमेर जिला जयपुर की खातेदारी गुलाब देवी की मृत्यु उपरान्त खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज कराने एवं इस आशय की घोषणा कराने की अधिकारी है।

विवाद्यक संख्या 1 को साबित करने का भार अपीलान्ट/वादिया पर था। विवादित आराजी गुलाब देवी बेवा मन्ना के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड से साबित है। वादिया का कथन है कि वादिया गुलाब देवी की बहिन है जबकि वादिया द्वारा वाद पत्र में कोई सज़रा या वंशावली दर्ज नहीं की गयी है। मृत्यु प्रमाण पत्र में गुलाब देवी पत्नी पन्ना लाल बुनकर प्रदर्श–1 में दर्ज है जो राजस्व रिकार्ड में अंकित गुलाब देवी बेवा मन्ना से सम्बन्धित साबित नहीं होता है। वादिया कानी देवी का किसी प्रकार से कब्जा साबित नहीं किया गया है तथा तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 19.06.2012 के मुताबिक भी वादिनी कानी देवी का कब्जा नहीं है। वादिनी द्वारा स्वयं को गुलाब देवी की छोटी बहिन होने सम्बन्धी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किये हैं। तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार भी वादिनी का खातेदार गुलाब देवी की छोटी बहिन होना तथा उस पर आश्रित होना जांच में साबित नहीं पाया है। रेस्पोन्डेन्ट्स संख्या 3 का कथन है कि विवादित आराजी को दिनांक 17.11.2005 को क्रय करने के पश्चात् विक्रय पत्र का नामान्तरकरण हेतु ग्राम पंचायत में निवेदन करने पर नामान्तरकरण दर्ज नहीं कर झूंठा वाद प्रस्तुत करने की धमकी दी गयी तथा क्रेता द्वारा मौके पर पुख्ता बाउण्ड्रीवॉल करवाते समय तत्कालीन सरपंच ने वादिया से झूंठा वाद प्रस्तुत करवा कर क्रेता खातेदार को निर्माण से रोक दिया तथा विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 17.11.2005 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान हो जाने के बावजूद भी क्रेता रामस्वरूप बुनकर को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाकर मोहनी देवी को पक्षकार बनाया गया है। अपील में मोहिनी देवी का नाम स्वयं अपीलान्ट द्वारा ही हजफ करवा लिया गया है जिससे रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 के कथन को बल मिलता है कि उक्त वाद सरपंच की मिलीभगत से प्रस्तुत किया गया

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

था अन्यथा वाद में मोहनी देवी को पक्षकार बनाया जाने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट/ वादिया कानी देवी खातेदार गुलाब देवी बेवा मन्ना की बहिन साबित नहीं है तथा मृत्यु प्रमाण पत्र गुलाब देवी पत्नी पन्ना लाल बुनकर प्रदर्श–1 खातेदार गुलाब देवी बेवा मन्ना का नहीं होकर दीगर गुलाब देवी का है जिससे खातेदार गुलाब देवी बेवा मन्ना की मृत्यु तथाकथित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.11.2005 से पूर्व होना साबित नहीं है तथा यदि वादग्रस्त आराजी खातेदार द्वारा जरिये विक्रय पत्र हस्तान्तरित कर दी गई है तो उसके वारिसान के लिए उक्त आराजी में कोई अधिकार शेष नहीं रहते हैं जब तक कि विक्रय पत्र को सक्षम न्यायालय से शुन्य घोषित नहीं करवा दिया जावे। प्रस्तुत प्रकरण में वादिया न तो खातेदार गुलाब देवी का वारिस अपने आपको सिद्ध कर पाई है तथा न ही तथाकथित विक्रय पत्र दिनांक 17–11–2005 के बारे में कोई आपत्ति की गई है। इस प्रकार उक्त तनकी पर पारित अधीनस्थ न्यायालय के निष्कर्ष में कोई विधिक त्रुटि नहीं है जिससे विवाद्यक संख्या 1 वादिया/ अपीलान्ट के विरूद्व निर्णित की जाती है ।

2. आया वादिनी प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने की अधिकारी है कि वह वादिनी के शांतिपूर्ण उपयोग उपभोग में मजाहमत न करें तथा वादिनी का बेकब्जा न करें ।

उक्त विवाद्यक को साबित करने का भार अपीलान्ट/ वादिया पर है । चूंकि विवाद्यक संख्या 1 अपीलान्ट के विरूद्व निर्णित होने से अपीलान्ट को खातेदार काश्तकार नहीं होने व अपीलान्ट का कब्जा मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट नहीं होने से अपीलान्ट/ वादिया स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। इस तनकी पर पारित अधीनस्थ न्यायालय का निष्कर्ष में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार विवाद्यक संख्या 2 अपीलान्ट के विरूद्व निर्णित की जाती है।

8– जहां तक मियाद का प्रश्न है अपीलान्ट द्वारा आदेश दिनांक 22–1–2016 के विरूद्ध अपील दिनांक 27–5–2016 को प्रस्तुत की गई है। विलम्ब के क्षमा हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 प्रस्तुत कर प्रार्थी ने उल्लेख किया है कि अपील पेश करने की समयावधि दो माह नियत है परन्तु प्रार्थी को अपील पेश करने की कानूनी अवधि का ज्ञान नहीं रहा इसलिए समय पर अपील पेश नहीं कर सका। अपीलार्थी द्वारा अंकित यह कथन मानने योग्य नहीं है। अपीलार्थी स्वयं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

के रूप में उपस्थित रहा है तथा अधिवक्ता द्वारा पैरवी की गई है तथा अपीलाधीन निर्णय वादी के अधिवक्ता की बहस सुना जाकर पारित किया गया है। इस प्रकार यह कथन अतिरंजित है कि अपील प्रस्तुत करने की अवधि का ज्ञान वादी अपीलान्ट को नहीं रहा हो। इस प्रकार अपील जान–बूझकर विलम्ब से प्रस्तुत की गई है तथा विलम्ब के लिए कोई सन्तोषप्रद एवं पर्याप्त कारण प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किये गये हैं। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 अस्वीकार किया जाता है।

9– उपर्युक्त विवेचन से तनकी संख्या 1 व 2 का निर्णय अपीलान्ट वादी के विरूद्ध होने से तथा अपील मियाद बाहर होने से अपील स्वीकार योग्य नहीं पाई जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

10– अतः अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 22–01–2016 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

11– निर्णय आज दिनांक 22–11–2017 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी

जयपुर